न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1168/दावा/2015
दायरा 01/12/2015

उनवान

बालाराम पुत्र हीरालाल जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा हाल मुकाम नाहरसिंघी तह0 झालरापाटन

— वादी

बनाम्

1. रघुदयाल पुत्र मोतीलाल जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
2. रामचंद्र पुत्र गोपाल जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
3. राजीबाई पुत्री गोपाल पत्नि बृजमोहन जाति कीर निवासी तिगोद पोस्त बालदड़ा तह0 अंता जिला बारां
4. भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
5. रामकरण पुत्र गंगाराम जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
6. रामहेतार पुत्र गंगाराम जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
7. शांतिबाई पुत्री गंगाराम जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा तह0 खानपुर
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड़
9. अधिशाषी अभियन्ता परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहय तह0 खानपुर
11. छीतरी उर्फ सीताबाई पुत्री हीरालाल पत्नि छोटूलाल जाति कीर निवासी ढाणी खेड़िया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
12. बादामबाई पुत्री हीरालाल पत्नि मदनलाल जाति कीर निवासी रूपाहेड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
2. श्री लेखराजसिंह चंद्रावत, अनिल मेहता अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 09/04/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कांगनीखेड़ा की जमाबंदी सं0 2028–47 की खतौनी सं0 9 की ख0नं0 40 की 15.17 बीघा, ख0नं0 143 की 0.10 बीघा कुल 2 किता की 16.07 बीघा आराजी मोतीलाल पुत्र भुवाना जाति कीर निवासी कांगनीखेड़ा के खाते व कब्जे काश्त की थी। मोतीलाल की 1970 में मृत्यु हो गयी है, इसके चार पुत्र हीरालाल, गंगाराम, गोपाल, रघुदयाल व दो लड़कियां धापूबाई, बद्रीबाई थी, इनकी शादी हुये 60 बरस से भी ज्यादा समय हो गया है और यह शादी के बाद से ही अपने अपने ससुराल में रह रही हैं। मोतीलाल के पुत्रों में हीरालाल, गंगाराम, गोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा रघुदयाल वादी नं0 1 अभी जीवित है, हीरालाल के एक लड़का वादी बालाराम है। गंगाराम के वारीसान प्रतिवादी नं0 4 लगा0 7 हैं। गोपाल के वारीसान प्रतिवादी 2, 3 हैं। पटवारी एवं ग्राम पंचायत ने मोतीलाल के फौती इन्तकाल नं0 1 दि0 04.12.1976 में गंगाराम, गोपाल, रघुदयाल का ही नाम अंकित किया और सबसे बड़े पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

हीरालाल का नाम दर्ज नहीं किया। इसे पटवारी व ग्राम पंचायत ने बिना वारीसान की पूर्ण जांच किये तस्दीक कर किया है, ऐसा अवैध इंतकाल वादी के पिता के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। वादी ने प्रतिवादीगण से खाते में वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं कराने की कहने पर इन्होंने कहा कि आपके पिता कांगनीखेड़ा में नहीं रहते इस कारण हमने उनका नाम नहीं लिखाया। इंतकाल तस्दीक होने की तारीख को वादी के पिता जीवित थे। वादी को जब यह पता लगा कि उसके पिता के खाते की जमीन परवन सिंचाई परियोजना में सरकार अवाप्त कर रही है तो वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि मोतीलाल की जमीन में वादी के पिता का जो 1/4 हिस्सा है वो वादी के खाते में दर्ज करवाओ ताकि उसे मुआवजा राशि मिल सके, इसे प्रतिवादीगण टालमटोल कर गये। इस आराजी में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण इस आराजी का मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा हैं, यदि यह अपने मन्सूबे में कामयाब हो गये तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में असंभव है। इसलिये प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः याद पेश कर निवेदन है कि याद मय खर्चा वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम कांगनीखेड़ा की ख0नं0 40 की 15.17 बीघा व ख0नं0 143 की 0.10 बीघा कुल 16.07 बीघा में वादी को प्रतिवादीगण के साथ साथ आराजी का संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे तथा कुल आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो उक्त 16.07 बीघा के अवाप्त होने पर मिलने वाली राशि को प्राप्त नहीं करें और न राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करें।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश किया कि आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना हेतू जल संसाधन विभाग झालावाड़ द्वारा अवाप्त कर ली गयी है। ऐसे में इस वाद की सुनवाई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है। मृतक मोतीलाल के वारीस गंगाराम, गोपाल, रघुदयाल ही थे। वादी व प्रतिवादीगण के बीच कोई संबंध नहीं है। यह वाद, वादी द्वारा झूँठे तथ्यों के आधार पर परेशान करने के लिये पेश किया गया है, इनका वाद बेरून मियाद है। इनका वाद चलने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जावे। दिनांक 31.10.2018 को पक्षकारान ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया है कि *" वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मोतीलाल जी थे मोतीलाल जी के चार लड़के हीरालाल, गंगाराम, गोपाल व रघुदयाल थे, मोतीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े लड़के हीरालाल का नाम छूट गया था जबकि हीरालाल जी मोतीलाल का लड़का था। हीरालाल के एक लड़का बालाराम है। हीरालाल, मोतीलाल का लड़का होना और वादी बालाराम हीरालाल का लड़का होना हम वादी व प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईस से आपस में राजीनामा कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादी का राजीनामा इस प्रकार से हुआ है कि ग्राम कांगनीखेड़ा तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 15.17 बीघा व खसरा नम्बर 143 रकबा 0.10 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 16.07 बीघा आराजी में वादी बालाराम का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 रघुदयाल का भी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2, 3 का भी 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी 4, 5, 6, 7 का भी 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे। इसमें हम वादी व प्रतिवादीगण सहमत हैं।"* प्रस्तुत राजीनामा से उभय के सहमत होने एवं राजी खुशी से उक्त राजीनामा आलेखित कराया जाना स्वीकार करने पर यह राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। चूँकि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है। ऐसे में इस वाद का निर्णय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कांगनीखेड़ा तहसील खानपुर की जमाबंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 20 की ख0 नं0 40 रकबा 15.17 बीघा व ख0 नं0 143 रकबा 0.10 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 16.07 बीघा आराजी में वादी बालाराम को 1/4 हिस्से तथा प्रति0नं0 1 रघुदयाल को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी नं0 2, 3 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी 4, 5, 6, 7 को 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

जाता है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा एवं खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा याद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09/04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner